अध्याय 30

मन्नत संबंधी विधि

यह अध्याय मन्नत, विशेषकर स्त्रियों से संबंधित मन्नतों के बारे में परमेश्वर की विधि प्रस्तुत करता है। विधि यह स्पष्ट करती है कि कब एक स्त्री की मन्नत, विशेषकर उन स्त्रियों की मन्नतें जो अपने पिता या पति के आधीन होती हैं, बनी रहती हैं।

बाइबल की अन्य अनुच्छेदों के साथ,[1] यह अनुच्छेद, मन्नत की महत्वत्ता की ओर संकेत करता है, जो "एक पवित्र मन्नत"[2] था। कोई परमेश्वर को कुछ देने की (सकारात्मक मन्नत) मन्नत मांग सकता है या किसी बात से बचने के लिए (नकारात्मक मन्नत) मन्नत मांग सकता है, जैसे यह अध्याय 6 में नाज़ीर के मन्नत में वर्णन किया गया है। बहुधा मन्नत शर्तों पर आधारित होता है, जैसे कोई यूँ कहेगा, "यदि परमेश्वर मेरे लिए कुछ करता है, तब मैं उसके लिए कुछ करूँगा।"

परमेश्वर का मन्नत से संबंधित विधि देना व्यवस्थित जीवन को पूर्वनिर्धारित करता है। इसलिए, इसने इस्राएलियों को कनान प्रवेश के लिए तैयार किया होगा। आने वाले व्यवस्थित जीवन के विचार ने उनके विश्वास को दृढ़ किया होगा कि वे जल्द ही प्रतिज्ञा के देश में रहेंगे। इससे बढ़कर, यह समझना कठिन होगा कि गिनती के संदर्भ में यह अनुच्छेद कैसे उचित ठहरेगा। संभवतः मन्नत से संबंधित विधियों को अध्याय 28 और 29 की बलिदानों की विधि से संबंधित देखा जाना चाहिए। क्योंकि, मन्नत में परमेश्वर को कुछ देना (एक प्रकार का बलिदान) सम्मिलित है; उनको पूरा करने के लिए बलिदान अर्थात् "स्वेच्छाबलि" चढ़ाना अपेक्षित है (29:39)। ये मन्नतें पवित्रस्थान में मानी जाती थी (15:3, 8; लैव्य. 7:16; 22:17-25), और ऐसा करने के लिए सबसे तार्किक अवसर पिछले अध्याय में वर्णित पर्व के दिन हुआ करते थे। इसके साथ ही, मिद्यानियों के साथ होने वाले युद्ध (अध्याय 31) और कनान विजय की गाथा ने स्त्रियों को स्वयं निर्णय लेने के लिए अकेला छोड़ा होगा। ऐसी परिस्थिति में, वे अपने पतियों की राय जाने बिना मन्नतें मान लेती थी।[3] फिर भी, अनुच्छेद इस संदर्भ में ठीक बैठता है, विधि को आसानी से समझा जा सकता है। यह कई अलग-अलग परिस्थितियों के लिए विधियां प्रस्तुत करता है।

पुरूष यहोवा की मन्नत माने (30:1, 2)

[1]फिर मूसा ने इस्राएली गोत्रों के मुख्य मुख्य पुरूषों से कहा, "यहोवा ने यह

आज्ञा दी है, 2कि जब कोई पुरूष यहोवा की मन्नत माने, या अपने आप को वाचा से बान्धने के लिये शपथ खाए, तो वह अपना वचन न टाले; जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे।"

आयत 1. मन्नत मानने का यह नियम **मूसा** के वक्तव्य से प्रारंभ होता है कि जिस विधि का पालन करना है वह **यहोवा की आज्ञा** है। पाठ यह स्पष्ट करता है कि विधि **इस्राएली गोत्रों के मुख्य-मुख्य पुरूषों** को दी गई है। सी. एफ. कील और एफ. डेलित्ज ने तर्क किया कि इन पुरूषों को इसलिए संबोधित किया गया है क्योंकि विधि "सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र, पारिवारिक जीवन में प्रवेश कर चुकी थी।"[4] इसलिए, इन विधियों को केवल घोषित ही नहीं किया गया है बल्कि इनके पालन करने पर भी ज़ोर डाला गया है।

आयत 2. विधि पवित्र संस्मरण के साथ परिचित की गई है: "जब कोई पुरूष यहोवा की मन्नत माने, वा अपने आप को वाचा से बान्धने के लिये शपथ खाए, तो वह अपना वचन न टाले; जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे।" सामान्य सिद्धांत यह है कि "मनुष्य द्वारा परमेश्वर के लिए मानी गई मन्नत तोड़ी नहीं जानी चाहिए,"[5] इस भाग में "मन्नत" (נֶדֶר, *नेदेर)* से संबंधित विशिष्ट विधि और "उसे पूरा करने की शर्त" (אִסָּר, *इस्सार)* है। जो मन्नत मानता है उसको **जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे**। ऐसा समझा जाता है कि *नेदेर* अधिक सामान्य था, और इस संदर्भ में यह शब्द कुछ सकारात्मक, जैसे बलिदान चढ़ाना इत्यादि, करने का सुझाव प्रस्तुत करता है। *इस्सार* शब्द, जो बाइबल में केवल इसी अध्याय में प्रयोग किया गया है, किसी भी बात से बचने के लिए स्वयं मानी गई मन्नत, जैसे उपवास रखना, है (देखें 1 शमूएल 14:24; भजन 132:2-5)।[6]

इब्रानी शब्द *ईश* (אִישׁ) पुरूष और स्त्री, दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है; लेकिन आयत 2 से ऐसा प्रतीत होता है कि यह शब्द पुरूष के लिए ही प्रयोग किया गया है। इसलिए इस्राएलियों के लिए यह नियम था कि "जो कुछ उसके मुँह से निकला है उसके अनुसार वह करे।" यदि पुरूष के लिए अपने पड़ोसी से या उसके बारे में झूठ न बोलना इतना महत्वपूर्ण है (निर्गमन 20:16; व्यव. 5:20), तो यह कितना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर से प्रतिज्ञा करते समय उसको कितना ईमानदार होना चाहिए। जिसने ऐसी मन्नत मानी हो उससे उसे पूरा करने की भी अपेक्षा की जाती थी। यह अनुच्छेद यह अनुमान लगाती है कि जो भी मन्नत पुरूष ने मानी हो उसको उसे पूरा करने से कोई भी रोक न सकता है।

इस्राएली स्त्रियों के लिए परिस्थिति भिन्न थी। स्पष्ट रूप से उनको भी मन्नत मानने की अनुमति थी। इससे पहले कि स्त्री का विवाह हो, वह अपने पिता के अधिकार के आधीन होती थी; विवाह उपरांत, उसको अपने पति के आधीन रहना होता था। इसलिए, एक प्रश्न उठाया जाता है: क्या जो मन्नत एक स्त्री ने मानी हो वह बनी रहनी चाहिए, क्योंकि तथ्य यह है कि वह या तो अपने पिता या पति के अधिकार के आधीन होगी? इस अध्याय का शेष भाग इस प्रश्न का उत्तर देता है।

स्त्री यहोवा की मन्नत माने (30:3-16)

कुँवारी स्त्री जब मन्नत माने (30:3-5)

3"और जब कोई स्त्री अपनी कुँवारी अवस्था में, अपने पिता के घर में रहते हुए, यहोवा की मन्नत माने, या अपने को वाचा में बाँधे, 4तो यदि उसका पिता उसकी मन्नत या उसका वह वचन सुनकर, जिससे उसने अपने आप को बाँधा हो, उससे कुछ न कहे; तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहें, और कोई बन्धन क्यों न हो, जिस से उसने अपने आप को बान्धा हो, वह भी स्थिर रहे। 5परन्तु यदि उसका पिता उसकी सुनकर उसी दिन उसको मना करे, तो उसकी मन्नतें या और प्रकार के बन्धन, जिन से उसने अपने आपको बाँधा हो, उनमें से एक भी स्थिर न रहे, और यहोवा यह जानकर कि उस स्त्री के पिता ने उसे मना कर दिया है, उसका यह पाप क्षमा करेगा।"

आयतें 3, 4. जब कोई **स्त्री** अपनी **कुँवारी अवस्था में, अपने पिता के घर में रहते हुए, यहोवा की मन्नत मानती** है, की मामले पर पहले विचार किया गया है। एक अविवाहित जवान स्त्री अपने पिता के अधिकार के आधीन होती है। विधि यह कहती है, इसलिए, यदि **उसका पिता उसकी मन्नत** या उसका वह वचन सुनकर, जिससे उसने अपने आप को बाँधा हो, **उससे कुछ न कहे**; तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहें, और कोई बन्धन क्यों न हो, जिस से उसने अपने आप को **बान्धा हो, वह भी स्थिर रहे।**

आयत 5. यदि, उसका **पिता उसकी सुनकर उसी दिन** उसको मना करे, तो उसकी मन्नतें या और प्रकार के बन्धन, से वह छूट जाएगी। ऐसे मामले में, **जिन से उसने अपने आपको बाँधा हो**, स्थिर नहीं रहेगा। अपनी मन्नत मानने के बन्धन से वह स्वतंत्र हो जाएगी। मूसा ने यह सबसे महत्वपूर्ण जोड़ा कि परमेश्वर उसको मन्नत में स्थिर न रहने के लिए क्षमा करेगा।

विवाह से पहले जब एक विवाहित स्त्री मन्नत मानती है (30:6-8)

6"फिर यदि वह पति के अधीन हो और मन्नत माने, या बिना सोच विचार किए ऐसा कुछ कहे जिससे वह बन्धन में पड़े, 7और यदि उसका पति सुनकर उस दिन उससे कुछ न कहे; तब तो उसकी मन्नतें स्थिर रहें, और जिन बन्धनों से उसने अपने आप को बाँधा हो वह भी स्थिर रहें। 8परन्तु यदि उसका पति सुनकर उसी दिन उसे मना कर दे, तो जो मन्नत उसने मानी है, और जो बात बिना सोच विचार किए कहने से उसने अपने आप को वाचा से बाँधा हो, वह टूट जाएगी; और यहोवा उस स्त्री का पाप क्षमा करेगा।"

आयत 6. दूसरी परिस्थिति जो इस विधि में पाई जाती है वह एक ऐसी स्त्री की है जो पहले अविवाहित थी और जिसने **मन्नत** मानकर (या **बिना सोच विचारकर**) अपने आपको इससे **बांध** लिया हो। "बिना सोच विचारकर" इब्रानी शब्द מִבְּטָה *(मिब्टा)* का अनुवाद है जो इब्रानी बाइबल में यहीं पर पाया जाता है। आमतौर पर "बिना सोच विचारकर" की व्याख्या चरित्र में किसी प्रकार की खोट के लिए नहीं की जाती है बल्कि यह "एक स्त्री का भविष्य में परिवर्तित परिस्थिति पर होने वाले प्रभाव का उचित आंकलन न कर पाने की क्षमता दिखाती है: जो वह आगे को पति की आधीनता में होगी और उसका अकेली रहती हुई मन्नत मानने के कारण उसके पति पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता था।"[7] क्या वह विवाह उपरांत अपनी मन्नत से बंधी रहेगी?

आयतें 7, 8. यदि **उसके पति** को **उसी दिन** उसके इस **मन्नत** के बारे में पता चलता है और उसे नहीं टालता है, तब वह अपनी मन्नत से बंधी रहेगी। परंतु, यदि उसने इसके बारे में सुनकर तुरंत विरोध किया तो वह अपनी मन्नत से छूट जाएगी। फिर, मूसा ने स्पष्ट किया कि मन्नत पूरा न कर पाने के लिए **यहोवा उसको क्षमा करेगा**।

एक विधवा या त्यागी हुई स्त्री जब मन्नत मानती है (30:9)

9"फिर विधवा या त्यागी हुई स्त्री की मन्नत, या किसी प्रकार की वाचा का बन्धन क्यों न हो, जिससे उसने अपने आप को बाँधा हो, तो वह स्थिर ही रहे।"

आयत 9. उस स्त्री का क्या होगा जो न तो पिता और न पति के आधीन रहती है? ऐसी स्त्री, विशेषकर, एक **विधवा या त्यागी हुई स्त्री** - पुरूष के समान मानी गई मन्नत से बंधी रहती है (देखें 30:1, 2)। उसको अपनी मन्नत पर स्थिर रहना था। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कहा, "**जिससे उसने अपने आप को बाँधा हो, तो वह स्थिर ही रहे।"** जो मन्नत उसने परमेश्वर से मानी है यदि उसको पूरा करने में अक्षम रहती है तो इसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

विवाहित स्त्री का मन्नत मानना (30:10-15)

10"फिर यदि कोई स्त्री अपने पति के घर में रहते मन्नत माने, या शपथ खाकर अपने आपको बाँधे, 11और उसका पति सुनकर कुछ न कहे, और न उसे मना करे; तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहें, और हर एक बन्धन क्यों न हो, जिससे उसने अपने आप को बान्धा हो, वह स्थिर रहे। 12परन्तु यदि उसका पति उसकी मन्नत आदि सुनकर उसी दिन पूरी रीति से तोड़ दे, तो उसकी मन्नतें आदि जो कुछ उसके मुँह से अपने बन्धन के विषय निकला हो, उसमें से एक बात भी स्थिर न रहे; उसके पति ने सब तोड़ दिया है; इसलिये यहोवा उस स्त्री का वह पाप क्षमा करेगा। 13कोई भी मन्नत या शपथ क्यों न हो, जिससे उस स्त्री ने अपने जीव को

दुःख देने की वाचा बाँधी हो, उसको उसका पति चाहे तो दृढ़ करे, और चाहे तो तोड़े; [14]अर्थात् यदि उसका पति दिन प्रतिदिन उससे कुछ भी न कहे, तो वह उसकी सब मन्नतें आदि बन्धनों को जिनसे वह बन्धी हो दृढ़ कर देता है; उसने उनको दृढ़ किया है, क्योंकि सुनने के दिन उसने कुछ नहीं कहा। [15]और यदि वह उन्हें सुनकर पीछे तोड़ दे, तो अपने स्त्री के अधर्म का भार वही उठाएगा।"

आयतें 10, 11. इस विधि के अंतर्गत् जिस अंतिम विषय पर चर्चा की गई है वह एक विवाहित स्त्री की है जिसने **अपने पति के घर** रहते हुए मन्नत मानी हो या शपथ खाकर अपने आपको बांधा हो। यदि उसके पति को इस बारे में पता चलता है और **कुछ न कहे, और न उसे मना करे,** तब उसकी मन्नत और शपथ स्थिर रहेगी। वह इससे बंधी रहेगी।

आयत 12. यद्यपि, यदि उसका पति यह सुनकर इसका विरोध करे, तो उसकी मन्नत **- जो कुछ उसके मुँह से अपने बन्धन के विषय निकला हो, उसमें से एक बात भी स्थिर न रहे।** चूँकि उसके पति ने उसको अपनी मन्नत पूरा करने से मना करने के द्वारा तोड़ दी है, तो **यहोवा उस स्त्री का वह पाप क्षमा करेगा।**

आयत 13. स्त्री की मन्नत या बंधने वाली शपथ के बारे में विधि की यहाँ संक्षिप्त में व्याख्या की गई है। अपने आपको **दुःख** पहुँचाने के लिए जो भी प्रतिज्ञा उसने की हो, उसको **उसका पति** या तो स्थिर कर सकता है या फिर **टाल** सकता है। "दुःखी करने" (עָנָה, *'अनाह)* के लिए जिस इब्रानी शब्द का अनुवाद किया गया है यह वही शब्द है जिसे 29:7 में भी प्रयोग किया गया है, जहाँ इसका संदर्भ उपवास रखने से है। इस संदर्भ में, संभवतः इस शब्द का सामान्य अर्थ है, जिसमें स्वयं को पीड़ित करने का आशय पाया जाता है।

आयतें 14, 15. तीसरी संभावना पर विचार किया गया है: यदि कोई **पति** अपनी पत्नी की मन्नत सुनकर **दिन प्रतिदिन उससे कुछ भी न कहे**, तो वह उसकी सब मन्नतें आदि बन्धनों को जिनसे वह बन्धी हो दृढ़ कर देता है। **दिन प्रतिदिन उससे कुछ भी न** कहकर, वह उसे दृढ़ करता है। यदि बाद में वह उसका विरोध करे, ताकि वह अपनी पत्नी की परमेश्वर से मानी मन्नत तोड़ दे, तौभी वह अपनी मन्नत और शपथ से नहीं छूट सकती है (यदि वह लागू होता है तो)। फिर, ऐसे परिस्थिति में, (पत्नी के बजाय) पति उसका दण्ड भोगेगा।

सारांश (30:16)

[16]पति-पत्नी के बीच, और पिता और उसके घर में रहती हुई कुँवारी बेटी के बीच, जिन विधियों की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी वे ये ही हैं।

आयत 16. सारांश वक्तव्य यह है कि **विधियों** की यह आज्ञा परमेश्वर ने **मूसा** के द्वारा दी। आज्ञा, **पति-पत्नी** के बीच और **पिता** और उसके घर में रहने वाली **कुँवारी बेटी** के बीच की जिम्मेदारी को स्पष्ट करती है कि क्या एक स्त्री को जो

मन्नत उसने परमेश्वर से मानी थी, उसको पूरा करने के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है या नहीं। यह विधियां किसी भी स्त्री पर लागू होती हैं जो अपने पति या पिता के अधिकार के आधीन रहती है। जवान एकल स्त्री, जिसने कभी विवाह नहीं किया था और जो अपने पिता के घर में भी नहीं रहती थी, के मामले को ध्यान में नहीं रखा गया है। संभवतः, त्यागी हुई स्त्री और विधवाओं के लिए भी यही विधि लागू होती है।

अनुप्रयोग

पुराने नियम में स्त्रियों की भूमिका का निहितार्थ (अध्याय 30)

अध्याय 30 में मन्नत से संबंधित विधियां स्पष्ट रूप से यह सिखाती हैं कि जब तक एक स्त्री जवान या अविवाहित होती है तो वह अपने पिता के अधिकार के आधीन होती है और विवाह पश्चात् अपने पति के आधीन होती है। दोनों मामलों में, पुरूष को जो उसकी बेटी या पत्नि ने स्वेच्छा से मन्नत मानी हो, को तोड़ने का अधिकार है, जबकि स्त्री को उसके पिता या पति द्वारा मानी गई मन्नत तोड़ने का अधिकार नहीं है। ऐसी विधि, यद्यपि प्राचीनकाल में अनूठी थी, आधुनिक पाठकों को अन्याय जान पड़ता है। यद्यपि, इसकी पारदर्शिता का विश्लेषण करते समय, कई तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

1. पुरूषों के समान मन्नतों के संदर्भ में अविवाहित स्त्रियों को भी वही अधिकार और जिम्मेदारियां प्राप्त थी। पवित्रशास्त्र किसी के द्वारा मानी गई मन्नत पूरी करने की महत्वत्ता पर ज़ोर डालता है और इसके साथ यह यह भी जोड़ता है मन्नत न पूरी कर पाने की स्थिति में यही बेहत्तर होगा कि स्वेच्छा से मन्नत न मानी जाए (व्यव. 23:21-23; सभो. 5:4, 5)।

2. मन्नत स्वेच्छा से मानी जाती है। किसी भी स्त्री को मन्नत मानने का आदेश नहीं दिया गया था। जो मन्नत उसने मानी हो उसमें यदि कोई समस्या उठती है तब उसने ही समस्या भरी घटना की शुरूआत की है जिसका परिणाम समस्या में ही होता है।

3. एक स्त्री की मन्नत उसकी पिता या पति को प्रभावित करती है। कोई भी मन्नत वह माने उसको पूरा करने में उसका समय या धन लगता है। घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उसका समय बहुमूल्य था; और नियमानुसार उसका धन उसके पिता या पति द्वारा उसको दिया गया था। आमतौर पर पुरूष परिवार के मुख्य समर्थक के रूप में समझे जाते थे। परिणामस्वरूप, जिस स्त्री ने मन्नत मानी हो, उसको उसे पूरा करने के लिए पति या पिता के सहयोग की आवश्यकता होती थी।

4. विधि, स्त्री को दो तरीके से सुरक्षा प्रदान करती थी। यदि उसने मन्नत पूरी नहीं की तो परमेश्वर द्वारा उसको दोषी ठहराए जाने से यह उसे बचाती थी क्योंकि उसके पिता या पति द्वारा मन्नत टाल दी गई थी। यह उसे उसके पति के मनमौजी व्यवहार से भी बचाता था। यदि वह मन्नत के बारे में सुनता है, और

सहमति जताता है, लेकिन बाद में उसको उसे पूरा करने से रोकता है, तब स्त्री नहीं बल्कि पुरूष दोषी ठहराया जाएगा।

5. विधि स्त्री को स्वेच्छा से मन्नत मानने की अनुमति देती है। इस विधि में स्त्री को अपने पति से पूछे या बताए बिना मन्नत मानने से नहीं रोका गया है। स्पष्टतया, पुरानी वाचा के अंतर्गत् हर एक स्त्री को उसके पिता या पति का उसके साथ संबंध के बिना, परमेश्वर से उसका संबंध स्थापित था। वह सम्पत्ति नहीं थी; वह एक व्यक्ति थी जिसको परमेश्वर की सेवा करने की अनुमति थी और व्यक्तिगत् रूप से वह उसके प्रति जिम्मेदार थी।

वचन मानना (अध्याय 30)

अध्याय 30 की विधियों के पीछे एक चिर स्थाई सिद्धांत यह है कि जो उसकी सेवा करते हैं वे अपनी मन्नतें, चाहे वे लोगों से मानते हों या उससे, उनको पूरा करना होगा। एक पुरानी कहावत यह घोषणा करती है कि पुरूष के शब्द उसका "बंधन" होना चाहिए। मसीही होने के नाते, हमारे लिए, जब हम कुछ करने के लिए कहते हैं तो यह इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि हम उसे करेंगे (देखें मत्ती 5:33-37)। जब लोग अपना वचन पालन करने में असफल होते हैं - जब झूठ बोलने की आदत बना लेते हैं, सत्य के साथ समझौता करते हैं, प्रतिज्ञाओं से मुकर जाते हैं, या भुगतान करने में असफल होते हैं जिसके लिए उन्होंने सहमति जताई थी - तो ऐसे स्थिति में समाज की नींव हिल जाती है।[8]

समाप्ति नोट

[1]मन्नत के उदाहरण के लिए देखें उत्पत्ति 28:20-22; गिनती 21:2; न्यायियों 11:30-40; 1 शमूएल 1:11; योना 1:16; 2:9; प्रेरितों. 18:18. [2]लुडविग कोहलर और वाल्टर बॉमगार्टर, *द हिब्रू एण्ड अरामाइक लेक्सीकन आफ दि ओल्ड टेस्टामेंट*, स्टडी एडीशन, अनुवादक और सम्पादक एम. ई. जे. रिचर्डसन (बॉस्टनः ब्रिल, 2001), 1:674. [3]गॉर्डन जे. वेनहैम, *गिनती*, द टिंडेल ओल्ड टेस्टामेंट कमेंट्रीज (डॉनर्स ग्रूव, इलिनोय: इंटर-वर्सिटी प्रेस, 1981), 206-7. [4]सी. एफ. कील एण्ड एफ. डेलित्ज, *द पेंटाट्यूक*, वॉल्यूम 3, अनुवादक जेम्स मार्टिन, बिब्लिकल कमेंट्री आन दि ओल्ड टेस्टामेंट (ग्रैंड रैपिड्स, मिशीगनः विलियम बी. एर्डमैंस पब्लिशिंग कम्पनी, तिथि अज्ञात), 223. [5]डेन्निस टी. ओलसोन, *गिनती*, इंटरप्रेटेशन (लुईविलः जॉन नॉक्स प्रेस, 1996), 174. [6]वेनहैम, 207. [7]रॉय गेन, *लैव्यव्यवस्था, गिनती*, द NIV एप्लीकेशन कमेंट्री (ग्रैंड रैपिड्स, मिशीगनः जॉडरवैन, 2004), 762. [8]जेम्स बर्टन कॉफमैन, *कमेंट्री आन लैव्यव्यवस्था एण्ड गिनती: द थर्ड एण्ड फ़ोर्थ बुक्स आफ मोजेज* (एबीलीन, टेक्ससः ए.सी.यू. प्रेस, 1987), 524.